प्रेस विज्ञप्ति

सराहनीय कार्य जनपद एटा

एटा पुलिस की तथ्यात्मक विवेचना से थाना मिरहची क्षेत्र में हुई महिला स्व0 श्रीमती बीनू की हत्या की घटना का सफल अनावरण, पैसों के लेनदेन को लेकर पति ने फायर इंजरी के झूठे केस में फसाने के लिए मारी थी पत्नी के गोली, आरोपी पति गिरफ्तार।

घटना का विवरण -

दिनांक 27.10.2021 को वादी दुष्यंत कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी जिन्हेरा रोड सेन्ट्रल बैंक के सामने मिरहची थाना मिरहची जनपद एटा द्वारा सूचना दी गई कि दिनाँक 26.10.2021 को समय करीब रात्रि 21.30 बजे वह और उसकी पत्नी बीनू अपने घर की खिड़की व दरवाजे पेण्ट कर रहे थे, वादी दरवाजे पर तथा पत्नी खिड़की को पैण्ट कर रही थी तभी दीपू राजपूत, बन्टी राजपूत भागते हुए आये और जान से मारने की नियत से तमन्चा से गोली चलाई गोली वादी को न लगकर उसकी पत्नी बीनू को लगी वादी और उसके बेटे ने उन दोनों को भागते हुए देखा तथा पकड़ने की कोशिश की, 8-10 दिन पूर्व भागीरथ लोधी व वीरेन्द्र लोधी ने भी जान से मारने की धमकी दी थी इस सम्बन्ध में थाना मिरहची पर मुअसं- 241/21 धारा 307, 506 भादवि0 बनाम 1. दीपू राजपूत पुत्र नामालूम 2. बन्टी राजपूत 3. भागीरथ लोधी 4, वीरेन्द्र लोधी पंजीकृत हुआ। दिनांक 06.12.2021 को इलाज के दौरान वादी की पत्नी श्रीमती बीनू की मृत्यु हो जाने के पश्चात अभियोग की विवेचना को धारा 307, 506 भादवि0 से धारा 302 भादवि0 में तरमीम किया गया।

घटना का अनावरण-

घटना की सटीक व वैज्ञानिक विवेचना हेतु थाना मिरहची व इन्टेलीजेंस विंग की टीमें लगायी गयी थीं जिनके द्वारा घटना के प्रत्येक पहलू की गहनता से छानबीन की गयी तथा वैज्ञानिक तरीके से तथ्यों को संकलित किया गया। विवेचना के दौरान संकलित मौखिक अभिलेखीय व इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों तथा एफएसएल आगरा की रिपोर्ट क्राइम सीन रिक्रिएशन द्वारा प्राप्त रिपोर्ट से इस बात के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए कि वादी दुष्यंत द्वारा ही कमेटी के पैसे वापस न देने की नीयत से अपनी पत्नी पर तमंचे से हल्की चोटें बनाकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही से वादी दुष्यंत कुमार का नाम अभियुक्त के रूप में प्रकाश में आया तथा अभियोग धारा 304, 195 भादवि में तरमीम किया गया। दिनांक 29.06.2022 को अभियुक्त दुष्यंत को थाना निरवा जनपद शिमला हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

घटना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य-

1. वादी द्वारा एफआईआर मे अंकित समय 21.30 बजे है उसके पश्चात वादी के फोन से पुलिस अथवा एम्बुलेन्स को कोई फोन नहीं किया गया।

2. एफआईआर में अंकित आरोपी बन्टी राजपूत की इलेक्ट्रानिक व सीसीटीवी फुटेज से लोकेशन घटना के समय लखनऊ हजरतगंज में होना पाया गया।

3. दिनांक 27.10.2021 को वादी दुष्यंत द्वारा अपने किरायेदार विशाल से तमंचे के सम्बन्ध में बातचीत की गयी जिसकी पुष्टि इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य से पायी गयी है।

4. दिनॉक 27.10.2021 को वादी द्वारा पूर्व के दो मोबाईल नम्बर होते हुए एक नया नम्बर लिया गया।

5. वादी द्वारा अपने किरायेदार विशाल से जिस तमंचे के बारे मे फोन पर बात की गयी थी उस तंमचे को दिनॉक 31.10.2021 को पुलिस द्वारा वादी दुष्यंत के किरायेदार विशाल की निशादेही पर व मौहल्ले वालो की मौजूदगी मे वादी के घर के सामने नाली से बरामद किया गया बरामदगी के तुरन्त बाद वादी द्वारा अपने तीनों मोबाईल को स्विच आफ कर लेना तथा एक सप्ताह बाद पुनः ऑन करना घटना में संलिप्तता प्रमाणित करता है।

6. मृतका श्रीमती बीनू द्वारा अपने मृत्यु पूर्व कथन मे एक व्यक्ति अज्ञात द्वारा गोली चलाना बताया गया।

7. परन्तु किसी को नामित नहीं किया गया तथा घटना के तत्काल बाद ही वादी द्वारा मौके पर आये आस-पास के लोगो को नामित अभियुक्तो का नाम नही बताया घटनास्थल से स्थित नाली से वरामद तमंचा की एफएसएल रिपोर्ट से तमंचे मे फसे खोखे से गोली चलना प्रमाणित हुआ है जिसके बारे मे वादी द्वारा अपने किरायेदार विशाल से पूछा जा रहा था जिसकी सीडीआर व आडियो क्लिप मौजूद मिली मुकदमा वादी पर कमेटी के 2 लाख 70 हजार रूपया नामित अभि0 दीपू राजपूत को दिये जाने थे।

8. दिनांक 30.10.2021 को बादी को पैसा देना तय हुआ था, जहॉ दिनॉंक 30.10.2021 से पहले ही 26.10.2021 को वादी दुष्यंत द्वारा दर्शायी गयी घटना परिस्थितियो से मेल नहीं खाती।

9. मृतका की चोटों के मेडिको लीगल परीक्षण मे टैटोईंग पायी गयी। डाक्टर द्वारा स्पष्ट किया गया तो मृतिका बीनू को गोली अधिकतम 3 फीट दूर से मारी गयी है, जबकि वादी ने अभिक्तगण द्वारा गोली 10-12 मीटर अर्थात 32 से 40 फीट दूरी से मारना बताया गया। मृतका बीनू से तीन फीट की दूरी के अन्दर केवल वादी ही था कोई अन्य व्यक्ति नहीं पाया गया।

10. वादी की पत्नी को गोली लगने के बाद वादी अपनी पत्नी के साथ जिला अस्पताल नहीं गया जिसकी पुष्टि मौखिक, इलेक्ट्रानिक व अस्पताल के अभिलेखों से प्रमाणित हुई।

11. मृतका को गोली लगने का एंगल 12 मीटर की दूरी से गोली लगने के एंगल से भिन्न पाया गया।

12. मृतका को फायर आर्म इन्जरी के अतिरिक्त कोई अन्य चोट नहीं है जबकि मृतका कुर्सी पर चढकर पेंट कर रही थी अचानक गोली लगने से गिरने पर अतिरिक्त चोटें आती।

13. घटना के बाद नामित आरोपियों द्वारा घटना स्थल की तरफ बढकर तमंचा छिपाने की बात घटना के तथ्यों से मेल नहीं खाती है जैसा कि वादी द्वारा अपने बयान में स्पष्ट किया गया है।

14. योजना बनाने के बाद दुष्यंत द्वारा अपनी पत्नी पर फायर आर्म इंजरी बनाने के उद्देश्य से फायर किया गया और हड़बड़ी व असावधानी के कारण फायर आर्म इंजरी गहरी हो गई। जिससे दिनांक 06.12.2021 को उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई।

बरामदगी-

1. आला कत्ल तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस दिनांक 31.10.2021 को पुलिस द्वारा बरामद किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. दुष्यंत कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम नगला श्याम थाना मिरहची एटा हाल पता हनुमान गली संन्ट्रल बैंक के सामने कस्बा व थाना मिरहची एटा। उम्र करीब 30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाला पुलिस बल-

1- उ0नि0 श्री जवाहर सिंह धाकडे, थाना मिरहची एटा।

2- आरक्षी 1409 रवेन्द्र कुमार थाना मिरहची एटा।

3- आरक्षी 1129 रविन्द्र कुमार थाना मिरहची एटा।

4- म0का0 151 कुमारी पिंकी थाना मिरहची एटा।

5- आरक्षी 1188 सूरज कुमार सर्विलांश सैल एटा।

व्यक्ति,
या प्रभाव